कार्यालय पुलिस आयुक्त दिल्ली , पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली।

संख्या 225/जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली, दिनांक 19/8/2008.

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक,
दैनिक जागरण
प्यारेलाल भवन,आई.टी.ओ.
नई दिल्ली

विषय:- **प्रकाशित खबर "जल बोर्ड अफसरों के खिलाफ जल्द आरोप पत्र दाखिल करें" के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

आपके समाचार पत्र के 15 अगस्त, 2008 को प्रकाशित अंक में उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत छपी खबर के बेबुनियाद तथ्यों के सन्दर्भ में यह पत्र भेजा रहा है।

दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ने मामले की जांच को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही जानने और उसमें शीघ्रता लाने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सयुंक्त पुलिस आयुक्त/अपराध को बुलाया था। माननीय अदालत ने मामले की जॉच पर, जॉच अधिकारी के खिलाफ ,अपराध शाखा के खिलाफ ,अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ या सयुंक्त पुलिस आयुक्त/अपराध के खिलाफ कोई लिखित या मौखिक प्रतिकुल टिप्पणी नहीं की थी और न ही माननीय उच्च न्यायालय ने अपराध शाखा के किसी अधिकारी के खिलाफ और दोषियों को गिरफतार करने में देरी के खिलाफ भी अपनी कोई नाराजगी व्यक्त की थी। समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्य सत्य से परे हैं। अपराध शाखा बहुत से संवेदनशील और उलझे हुए मामलों को जांच पडताल करने और उन्हें निष्पक्षता से सुलझाने मे अपना शानदार रिकॉर्ड रखती है। आपके संवाददाता ने बिना तथ्यों को समझे और उनकी सत्यता जाने यह खबर प्रकाशित की है।

उपरोक्त तथ्यों को मद्वेनजर रखते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने पाठकों को वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु इस स्पष्टीकरण को समुचित स्थान पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। इसके साथ -साथ आपसे यह भी आग्रह है कि अपने संवाददाता को भविष्य में ऐसी खबरें प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित पुलिस अधिकारी से तथ्यों की पुष्टि करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय
राजन भगत
(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस,दिल्ली